राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 869/2012/श्रीगंगानगर

सहायक आयुक्त,
वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स श्री एन्टरप्राईजेज,
अनूपगढ, श्रीगंगानगर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरना,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 330/आरवैट/श्रीगंगानगर/10–11 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 24 तहत् आरोपित कर राशि रूपये 14,367/–, ब्याज राशि रूपये 2,565/– एवं शास्ति राशि रूपये 2,500/– में से कर एवं ब्याज को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संविदा का कार्य किया जाता है, एवं उनके द्वारा पी.एच.ई.डी. विभाग, अनूपगढ में कार्य कर, कर मुक्ति योजना दिनांक 11.08.2006 के अन्तर्गत कर मुक्ति प्रमाण–पत्र संख्या 2/44 दिनांक 03.11.2006 निर्धारित 1.5 प्रतिशत एवं 2.25 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क के आधार पर प्राप्त किया था, परन्तु बाद में कर निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त कर मुक्ति फीस को संशाधित करते हुए 3 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क आरोपित कर, टैक्स, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आरोपित कर एवं ब्याज को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी विभाग की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है

लगातार.....2

कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो 1.5 प्रतिशत एवं 2.25 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क को संशोधित कर 3 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क का आरोपण किया है, वह विधि सम्मत है। उन्होने आगे अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन कर अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संविदा का कार्य लेकर ठेका कार्य किया जाता है। इस बाबत् पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा प्राप्त संविदा कार्य प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किया गया, एवं इस कार्य पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना F.12(63)FD/Tax/2005-80 दिनांक 11.08.2006 के अनुसार कर मुक्ति प्राप्त की गई, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संशोधित कर 3 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क आरोपित कर दिया। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना F.12(63)FD/Tax/2005-80 दिनांक 11.08.2006 के पैरा संख्या 8 को उल्लेखित किया जाना अवश्यक है, जिसके अनुसार–

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section(3) of section8 of the rajasthan value added tax act, 2003 (act number 3 of 2003), the state forvernment being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax the tegistered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract subject to the following conditions, namely :-

(8.) That the tax collected or charged, if any, by such dealer before the issue of this notification shall be deposited to the State Government and tax so deposited shall not be refunded or adjusted against the exemption fee.

LIST

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contracts relating to dyeing, printing, processing and similar activities.	0.25%
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerage system.	1.50%
3.	Works contracts relating to installation of plants and machinery including PSPO, water treatment plant, laying of pipe line with material.	2.25%
4.	Any other kind of works contract not covered by item Nos. 1, 2 and 3.	3.00%

6. इससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा किया गया संविदा कार्य सिविल वर्क्स की श्रेणी में आता है, इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपीलीय आदेश यथावत रखा जाता है, एवं अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य